प्रेसनोटः-दिनॉक-14-07-2024 **थाना वजीरगंज**

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 03 तस्कर गिरफ्तार ।
कब्जे से 14 कि0 300 ग्राम मादक पदार्थ(डोडा छिलका) बरामद, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 लाख रुपये।

शासन द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व क्रय/विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राममोहन सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी विसौली श्री सुनील कुमार के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को 14 किलो 300 ग्राम नाजायज मादक पदार्थ (डोडा छिलका) के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है ।

विवरण घटना क्रम-
थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 13.07.2024 को उच्चाधिकारीगण एवं शासन की मंशा के अनुरूप मादक पदार्थ ब्रिकी एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सतत अभियान के क्रम मे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान ग्राम रुपपुरा में रामेश्वर पुत्र जानकी के घेर के सामने से 03 व्यक्ति अभियुक्तगण 1. जिला सिंह पुत्र सुखवीर सिंह, 2. अमित कुमार पुत्र जगीर सिंह, 3.अनुकान्त शर्मा पुत्र सुमेरचन्द निवासीगण ग्राम टोवा थाना साहा जिला अम्बाला हरियाणा वाहन छोटा हाथी(पिकअप) गाडी नम्बर HR 37E 7947 में ले जाते समय पकडे गये जिनके कब्जे से 14 किलो 300 ग्राम नाजायज डोडा छिलका नाजायज बरामद हुआ। पकड़े गये अभियुक्तगण के पास से बरामद डोडा छिलका की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 1.5 लाख रूपये है । जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 249/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है ।

पूछताछ विवरण-
अभियुक्तगण से पूछताछ मे पता चला कि अभियुक्तगण हरियाणा के जिला अम्बाला के रहने वाले है और वहाँ से डोडा छिलका लाकर आस पास के राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में जा जाकर कर ट्रक ड्राइवरो व होटल ढाबो आदि पर बेचते है । आज जब यह लोग डोडा छिलका को गाडी में लेकर जा रहे थे तो चैकिंग के दौरान पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
1.जिला सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम टोवा थाना साहा जिला अम्बाला हरियाणा
2.अमित कुमार पुत्र जगीर सिंह निवासी ग्राम टोवा थाना साहा जिला अम्बाला हरियाणा
3.अनुकान्त शर्मा पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम टोवा थाना साहा जिला अम्बाला हरियाणा

बरामदगी का विवरण-
14 किलो 300 ग्राम नाजायज डोडा
एक छोटा हाथी नम्बर HR 37E 7947

गिरफ्तारी स्थल-
ग्राम रुपपुरा में रामेश्वर पुत्र जानकी के घेर के सामने खंडजे पर दिनांक 13.07.2024

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः
1.अभियुक्त जिला सिंह मु0अ0सं0 249/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ
2.अभियुक्त अमित कुमार मु0अ0सं0 249/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ ।
3.अभियुक्त अनुकान्त शर्मा मु0अ0सं0 249/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज बदायूँ।
1.प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
2.उ0नि0 श्री योगराज सिंह थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
3.हे0का0 244 रफीक अहमद थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
4.हे0का0 16 कर्णपाल सिंह थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
5.हे0का0 723 गौरव सिरोही थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

सोशल मीडिया सैल,
जनपद बदायूँ ।